कार्यालय
क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना (म० प्र०)
Phone No. +917732-252135 (O) **Fax,** +917732-252120
E-mail: fdptr@rediffmail.com **Website:** www.pannatigerreserve.in

प्रेस नोट

पन्ना टाईगर रिजर्व के असूचना प्रकोष्ठ की अवैध शिकार रोकथाम रणनीति कब तक सफल होती रहेगी? शिकार त्याग करने के सम्बन्ध में विनम्र आग्रह

पूर्व में दिनांक 20.10.2011 को पन्ना टाईगर रिजर्व के द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार यह सूचित किया गया था कि पन्ना टाईगर रिजर्व के असूचना प्रकोष्ट को प्राप्त सामयिक सूचना के आधार पर उत्तर पन्ना वन मण्डल के ग्राम सरकोहा में एक तेंदुए को फंदे के शिकंजे से बचा कर जीवनदान दिया गया था। आज की स्थिति में वह तेंदुआ भले स्वच्दंछ विचरण नहीं कर रहा है परन्तु वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में जीवित है।

इसी क्रम में दिनांक 30.12.2011 को पन्ना टाईगर रिजर्व की प्रशासनिक इकाई केन घड़ियाल अभयारण्य के बीट अकोना के एक निजी खेत से रखवाले के डेरे को बेदखल करते हुए उसके खेत में लगाये गये क्लच वायर के फंदे को मौके से निकाल कर किसी वन्य प्राणी का शिकार होने से पहले ही व्यवस्था में आवश्यक प्रयास किया गया। इसी क्रम में दिनांक 15.1.2012 को परिक्षेत्र गहरीघाट में बीट खमरी में गश्त करते हुए वन परिक्षेत्र के अमले के द्वारा नायलोन की रस्सी का फंदा कक्ष क्रमांक 1293 से पकड़ा जिसके विरुद्ध पी.ओ. आर. क्रमांक 526/1 दिनांक 15.1.2012 जारी करते हुए कार्यवाही कर इस कुव्यवस्था के ऊपर अंकुश लगाने हेतु प्रयास तेजी से जारी है।

आज दिनांक 16.1.2012 को पन्ना जिले के मानसेवा वन्य प्राणी अभिरक्षक श्री हनुमत सिंह के द्वारा प्रदाय की गई सूचना के अधार पर ग्राम जशवन्तपुरा के एक खेत के पास के नाले में क्लच वायर के फंदे में फसे हाइना (लकडबग्घा) को जीवित बचा लिया गया है। परन्तु इस कुव्यवस्था को अकेला पार्क प्रबन्धन के बलबूते हर बार किसी जानवर की मृत्यु होने के पहले बचाना कहां तक संभव है? आप ही सोचें। प्रकरण में दक्षिण पन्ना वन मण्डल के स्टाफ के द्वारा विवेचना जारी है। जैसा कि पूर्व में दिनांक 14.1.2012 को जारी किये गये प्रेस नोट के मुताविक अब पुर्नस्थापित बाघों के शावक बड़े होकर आस–पास के इलाकों में स्वच्छंद विचरण हेतु बाहर निकल रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में इन फंदों में या किसी शिकारी के हत्थे यह शावक बली का बकरा तो नहीं बनेंगे।

फसलों की नुकासनी व क्षतिपूर्ति को लेकर शासन व म.प्र. वन विभाग अत्यन्त गम्भीर है। इस सम्बन्ध में समय पर किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए फसल क्षति व्यवस्था को म. प्र. शासन के द्वारा लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत समावेश किया है जिसके तहत फसल नुकसानी के 30 दिन के भीतर सम्बन्धितों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया है। उल्लेखनीय बात है कि इस विभाग के मंत्री अपने ही क्षेत्र के राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह

से आधीन है। पन्ना टाईगर रिजर्व में विगत एक वर्ष से अभी तक कुल 46 प्रकरणों में रु0 340 की राशि इस सम्बन्ध में अभी तक वितरित की जा चुकी है। अतः फसल नुकसानी को रोकने की दिशा में खेत की बागड में फंदे लगाने, सुअर का बम लगाने या अन्य तरीकों से वन्य प्राणियों को क्षति पहुंचाने से बचे रहने हेतु सभी किसानों से आग्रह किया जाता है।

अतः आम और खास से इस प्रेस नोट के माध्यम से आग्रह किया जाता है कि इस प्रकार के खेत के किनारे या परम्परागत रूप से या खुशी तरीके से शिकार करने वाले इस प्रकार की आदतों से बचें। स्वयं को कानूनी उलझनों में डालने के साथ–साथ बाघ पुर्नस्थापना योजना की सफलता में खलल पैदा न करें। इसलिए पन्ना टाईगर रिजर्व की बाघ पुर्नस्थापना योजना की सफलता हेतु बफर जोन के निर्माण के सम्बन्ध में स्थानीयों के समन्वय व सहभागिता के साथ बफर जोन के शीघ्रातिशीघ्र गठन का आग्रह किया जाता है।

हाइना क रेस्क्यू कायवाही में पन्ना टाईगर रिजर्व एवं दक्षिण पन्ना सामान्य वन मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। इसमें पन्ना टाईगर रिजर्व के वन्य प्राणी चिकित्सक डा0 संजीव गुप्ता की भूमिका सराहनीय रही।

दिनांक – 16.1.2012

क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाईगर रिजर्व,पन्ना